राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(10)एम.ई./ग्रुप–1/2013पार्ट जयपुर, दिनांक : 11 DEC 2019

आदेश

जनरल सर्जरी विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में (वर्ष 2019–20) डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 खख के उपनियम–5 के अन्तर्गत गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 13.09.2019 को बैठक आयोजित की गई थी। कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग से तत्समय प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. रिचा जैन, आचार्य, जनरल सर्जरी विभाग के विरूद्ध FIR No. 197/12 विचाराधीन थी, जिसके कारण डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा डॉ. रिचा जैन की आचार्य से वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुशंषा बंद लिफाफे में रखी गई। कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग से वर्तमान में प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. जैन के विरूद्ध विचाराधीन FIR No. 197/12 में ब्यूरो द्वारा FR लगा दी गई है। फलस्वरूप डॉ. जैन के विरूद्ध वर्तमान में कोई DE/PE/FIR/Complaint विचाराधीन नहीं है। इस कारण इनकी पदोन्नति के संबंध में अनुशंषा का सीलबन्द लिफाफा नियमानुसार खोला गया। कमेटी द्वारा डॉ. जैन को वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंषा की गई है।

अतः स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा पर डॉ. जैन को डीएसीपी स्कीम के तहत उसके नाम के सम्मुख अकिंत पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति उपरान्त डॉ. रिचा जैन अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगी :–

क्र.स.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति तिथि	पदोन्नति वर्ष
1	डॉ. रिचा जैन	आचार्य, जनरल सर्जरी	वरिष्ठ आचार्य, जनरल सर्जरी	01.4.2019	2019–20

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेड़िकल कॉलेज जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेड़िकल कॉलेज, जयपुर।
7. ए.सी.पी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(शिवशंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव